न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :— 07/2018

(आरसीएमएस नम्बर :— 2018/00008)

उनवान प्रकरण

रामअवतार पुत्र रामखिलाडी उम्र करीव 35 वर्ष जाति बाहम्ण निवासी ग्राम कमरियन का पुरा (अण्डवा पुरैनी) तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 18.09.2017
मु0नं0 29/2017 सरकार बनाम रामअवतार
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार राजाखेडा

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 23.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सम्बत 2074 में आराजी खसरा नम्बर 1428/733 रकवा 583 वीधा 8 विस्वा किस्म चारागाह बॉके ग्राम अण्डवापुरैनी तहसील राजाखेडा में 68X17 वर्गफीट भूमि में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलार्थी पर कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा गलत व झूंठे तथ्यों पर तत्कालीन सरपंच से रंजिस के कारण पेश की गई है। ग्राम कमरियन का पुरा कई सताब्दियों पूर्व का वसा हुआ है

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

लेकिन गॉव अभी तक आवादी में दर्ज नहीं हो पाया है जहॉ अपीलान्ट कई पीडियों से निवासी करते चले आ रहे है 40 वर्ष पुराने मकान बना होना तो स्वंय हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में माना है इसलिये भी अपीलान्ट जिस जगह मकाना बना है का मालिका हो चुका है तथ वह जगह चारागाह के रूप में कभी प्रयुक्त नहीं हुई इसलिये अधिनस्थ न्यायालय को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रहा। जिन लोगो के मकान बने हुये है को मकान के पटटे नहीं मिले है। उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा लोकहित में माननीय जिला जज महोदय के समक्ष दीवानी दावा पेश कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। अपील अवधि वाहर प्रस्तुत होने से प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने एवं विवादित मकान का अपीलान्ट के हक में नियमन किया जाकर पटटा जारी करवाये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया गया ना ही विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलार्थी पर कराई गई। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। ग्राम कमरियन का पुरा कई सताब्दियों पूर्व का वसा हुआ है लेकिन गॉव अभी तक आवादी में दर्ज नहीं हो पाया है जहॉ अपीलान्ट कई पीडियों से निवासी करते चले आ रहे है 40 वर्ष पुराने मकान बना होना तो स्वंय हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में माना है इसलिये भी अपीलान्ट जिस जगह मकाना बना है का मालिका हो चुका है तथा वह जगह चारागाह के रूप में कभी प्रयुक्त नहीं हुई इसलिये अधिनस्थ न्यायालय को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रहा। जिन लोगो के मकान बने हुये है को मकान के पटटे नहीं मिले है। उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा लोकहित में माननीय जिला जज महोदय के समक्ष दीवानी दावा पेश कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने एवं विवादित मकान का अपीलान्ट के हक में नियमन किया जाकर पटटा जारी करवाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने चारागाह विवादित आराजी में 68X17 वर्गफीट भूमि में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिसे अपीलान्ट में अपने जबाव में अतिक्रमण को स्वीकार किया है। अतिक्रमी के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा की गयी अतिक्रमण की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। उक्त विवादित आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

के तहत सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा नियमन आवंटन के लिये प्रतिबन्धित है। इस भूमि पर अतिकमी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलान्ट की विवादित भूमि पर एक अतिकमी की हैसियत है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिकमण स्वीकार किया है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर नियमन/खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि चूंकि उक्त विवादित आराजी के सम्बध में एक दीवानी दावा वमुकः रामखिलाडी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन है जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर, उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एवं तहसीलदार राजाखेडा पक्षकार प्रकरण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की कियान्विति माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन दीवानी वाद के निस्तारण तक स्थगित रखा जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 की कियान्विति, माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन दीवानी दावा वमुकः रामखिलाडी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner